अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार सिणधरी

बनाम

तहसीलदार सिणधरी
मुकदमा स. 116 / **2017**

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12.5.17	यह आवेदन पत्र प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी की ओर से अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू अभिलेख अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत पेश है। जो आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन किया गया,कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा राजस्थान सरकार(समर्पण भूमि) के खाते मे दर्ज है। जिसकी किस्म बा.सो. राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। लेकिन उक्त रकबा आम जन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रहा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। **हमने** प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। ज़िसमे पाया कि,आवेदन मे दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.सो.राजस्थान सरकार (समर्पण भूमि) के खाते मे दर्ज है।जिसकी मौके पर उक्त रकबा का आजजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप मे उपयोग मे लिया जा रहा है,और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म बा.सो.से गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार अदालत को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने मे कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली रिझू फेसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) 12/5/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner